भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

****

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-487

दिनांक 06 फरवरी, 2025 को उत्तरार्थ

भार के प्रबंधन के लिए कृषि गोदामों का पृथक्करण

487. श्री शशांक मणि:

श्री कृपानाथ मल्लाह:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) क्या सरकार ने उन क्षेत्रों में कृषि फीडरों को अलग करने के लिए कोई प्रयास किया है, जहां भार की मांग अधिक है ताकि निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए घरेलू फीडर पर भार कम किया जा सके है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है:

(ख) क्या सरकार ने इस प्रयास के तहत विशिष्ट फीडरों की पहचान की है और उनका पृथक्करण किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने अब तक सभी फीडरों का पृथक्करण कर लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में कुल कितनी लागत आई है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री:
(श्री श्रीपाद नायक)

(क) से (ग) : भारत सरकार 30% से अधिक कृषि भार वाले मिश्रित भार फीडरों को कृषि और गैर-कृषि फीडरों में विभाजित करने पर जोर दे रही है, जिसका उद्देश्य कुशल भार प्रबंधन है। यह अपेक्षित है कि कृषि फीडरों को अलग करने से कृषि उपभोग के लिए आपूर्ति की विवेकपूर्ण रोस्टरिंग की सुविधा होगी और उनका सौरकरण संभव होगा, जिससे किसानों को दिन के समय आपूर्ति सुनिश्चित करने के साथ आपूर्ति की लागत कम करने में भी मदद मिलेगी। यह ग्रामीण क्षेत्रों में गैर-कृषि उपभोक्ताओं को विश्वसनीय और गुणवत्तापूर्ण आपूर्ति प्रदान करने में भी सहायता करेगा।

वर्ष 2014 में शुरू की गई दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) स्कीम और वर्ष 2021 में शुरू की गई संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) के अंतर्गत फीडर पृथक्करण के लिए कार्य संस्वीकृत किए गए हैं। डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत 7,833 फीडरों को अलग किया गया, जिसकी परियोजना लागत 10,394 करोड़ रु थी और यह स्कीम दिनांक 31.03.2022 को बंद हो चुकी है।

आरडीएसएस के अंतर्गत 40,509 करोड़ रु की लागत के फीडर पृथक्करण कार्य संस्वीकृत किए गए हैं और कार्य स्कीम की अवधि अर्थात् दिनांक 31.03.2022 के भीतर पूरे किए जाने हैं।

फीडर पृथक्करण कार्यों की स्थिति निम्नानुसार है:

#	विवरण	फीडर
1.	पृथक्करण के लिए व्यवहार्य कुल फीडरों में 30% से अधिक कृषि भार शामिल है	80,631
2.	राज्य सरकारों की पहल सहित विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत फीडरों को पहले ही पृथक कर दिया गया है	49,512
3.	आरडीएसएस के अंतर्गत संस्वीकृत फीडर	31,119
4.	आरडीएसएस के अंतर्गत अब तक पृथक किए गए फीडर	4,163

****